



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow

केंद्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roc2.lko-mef@nic.in

दिनांक : 27.02.2023

पत्र सं० 8बी/यू0पी0/06/15/2023/एफ0सी0/920

सेवा में,
अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Road/117342/2020

विषय: विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क विकास परियोजना के तहत हमीरपुर-राठ गरीठा गुरसराय-झांसी राज्य राजमार्ग-42 के राठ बाईपास (हमीरपुर जनपद) से गरीठा (झांसी जनपद) (मिसिंग) लिंक किमी० 74.550 से किमी० 110.360 तक के उच्चीकरण निर्माण कार्य हेतु जनपद हमीरपुर में प्रभावित 4.068 हे० आरक्षित एवं 1.0684 हे० संरक्षित वनभूमि कुल 5.1364 हे० वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 327 वृक्षों/पौधों के पालन एवं जनपद झांसी में प्रभावित 13.049 हे० आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2127 वृक्षों/पौधों के पालन अर्थात् कुल 18.1854 हे० वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2554 वृक्षों/पौधों के पालन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: सचिव(वन), उ०प्र० शासन के पत्रांक पी-17/81-2-2022-800(12)/2023, दिनांक 27.01.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रकरण में दिनांक 20.02.2023 को आहूत की गई क्षेत्रीय सशक्त समिति, लखनऊ की बैठक में, लखनऊ महोदय पत्रांक 293.222 शामिल किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति के निर्णयानुसार मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाएं/जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे प्रकरण में आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके-

1. As per the DSS and SOI toposheet, the demarcation of forest area proposed for diversion is undervalued. Some parts of the Reserve Forest area in the kmf file are demarcated as Non-forest. This needs rectification/clarification.
2. As per the DSS and SOI toposheet, the proposed NFL CA land polygon falls under the Kuchhechha R.F and Durkhuru R.F area. This needs rectification/clarification.
3. As per part-ii of the proposal, total no. of trees proposed for felling is 2454 trees but in State Govt. forwarding letter, it is mentioned as 2554 trees. This needs rectification/clarification.
4. NOC from irrigation dept. needs to be submitted since the proposed diverted route is crossing the river.
5. It is not clear from the proposal that what is the status of widening before and what is after proposed alignment.
6. Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.
7. Details of existing ROW proposed ROW and land width (ROW) availability for road side plantation needs to be submitted and accordingly plantation scheme for roadside plantation needs to be submitted.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक(के.)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. वन संरक्षक चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी हमीरपुर एवं झांसी।
4. अधीक्षण अभियन्ता विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग कानपुर।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक(के.)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक-2833/11-सी-FP/UP/Road/117342/2020, लखनऊ, दिनांक: मार्च 02, 2023

प्रतिलिपि- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, झांसी एवं चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख संस्तुति सहित इस कार्यालय को तीन प्रतियों में प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर एवं झांसी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख संस्तुति सहित इस कार्यालय को वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड, लो०नि०वि०, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।